भारत सरकार

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 1982

उत्तर देने की तारीख : 11.12.2025

प्रौद्योगिकी उन्नयन के लिए ऋण-संबद्ध पूंजी सब्सिडी योजना

1982. श्री सप्तगिरी शंकर उलाका :

क्या **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) पिछले पांच वर्षों के दौरान प्रौद्योगिकी उन्नयन के लिए ऋण-संबद्ध पूंजी सब्सिडी योजना (सीएलसीएसएस) के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने वाले सूक्ष्म और लघु उद्यमों की वर्ष-वार और राज्य-वार/संघ राज्यक्षेत्र-वार कुल संख्या कितनी है;

(ख) योजना के अंतर्गत उक्त अवधि के दौरान वितरित सब्सिडी की कुल राशि वर्ष-वार और राज्य-वार/संघ राज्यक्षेत्र- वार कितनी है;

(ग) क्या सरकार का उभरती प्रौद्योगिकियों, हरित ऊर्जा अपनाने और उद्योग 4.0 आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए सीएलसीएसएस के दायरे का विस्तार या संशोधन करने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या सरकार ने इस योजना के अंतर्गत आवेदनों पर समय पर कार्रवाई और एमएसएमई को सब्सिडी का वितरण सुनिश्चित करने के लिए निगरानी और शिकायत निवारण तंत्र स्थापित किए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम राज्य मंत्री

(सुश्री शोभा करांदलाजे)

(क) और (ख) : दिनांक 1 अक्टूबर 2000 को शुरू की गई क्रेडिट लिंक्ड कैपिटल सब्सिडी (सीएलसीएस) योजना का उद्देश्य सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों (एमएसई) को उनके द्वारा प्राप्त संस्थागत वित्त पर 15 प्रतिशत की अग्रिम पूंजी सब्सिडी प्रदान करके उनके प्रौद्योगिकी उन्नयन को सुविधाजनक बनाना है। यह केवल दिनांक 31.03.2020 तक ही प्रचलित थी। अपनी शुरूआत से ही, इस योजना ने 5685.87 करोड़ रुपए की कुल पूंजी सब्सिडी प्रदान करते हुए लगभग 87,989 इकाइयों को लाभान्वित किया। सरकार उपकरणों/मशीनरियों की खरीद के लिए 100 करोड़ रुपए तक की ऋण सुविधा के लिए म्यूच्यूल क्रेडिट गारंटी स्कीम(एमसीजीएस-एमएसएमई),राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति हब (एनएसएसएच) के तहत स्पेशल क्रेडिट लिंक्ट कैपिटल सब्सिडी (एससीएलसीएसएस) इत्यादि जैसी योजनाओं के माध्यम से वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है।

(ग) : सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, उद्यम पोर्टल के तहत डिजिटल पंजीकरण, टूल रूम प्रौद्योगिकी केंद्रों में प्रौद्योगिकी अपनाने के लिए प्रशिक्षण, एमएसएमई इनोवेटिव स्कीम के माध्यम से नए विचारों और प्रौद्योगिकियों के इनक्यूबेशन और हरित प्रौद्योगिकियों में निवेश को बढ़ावा देने के लिए वित्तपोषण परिवर्तन योजना के लिए एमएसई ग्रीन निवेश के माध्यम से एमएसएमई के डिजिटल सशक्तिकरण में सहायता प्रदान कर रहा है। वित्तीय प्रोत्साहन, क्षमता निर्माण और जागरूकता के घटक उपरोक्त सरकारी वित्त पोषित योजनाओं के डिजाइन में उपयुक्त रूप से अंतर्निहित हैं। तकनीकी क्रियाकलापों और उद्योग 4.0 को अपनाने पर सरकार द्वारा की गई पहलों में अन्यों के साथ-साथ "भारतीय पूंजीगत वस्तु क्षेत्र में प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने" के लिए 4 स्मार्ट एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग और रैपिड ट्रांसफॉर्मेशन हब (समर्थ) केंद्रों की स्थापना की योजना शामिल है।

(घ) : यह योजना डिजिटल मोड में प्रचलित थी। आवेदनों की समयबद्ध प्रक्रिया और एमएसएमई को सब्सिडी का वितरण सुनिश्चित करने के लिए, शिकायतों के निवारण और एमएसएमई की सहायता सहित ई-गर्वनेंस के कई पहलुओं को कवर करने के लिए चैंपियंस पोर्टल शुरू किया गया था।

*****